

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 19/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

हाइब्रिड मोड के माध्यम से 19/06/2023 को सुबह 11:00 बजे श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (दिनांक 23/09/2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री सुनील कुमार दीपन, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री नरेश यादव, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मिनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, श्री (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) सत्य विजय वर्मा, आईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:


(1) 06/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

06/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। अतः दिनांक 06/06/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) एसी इम्पेक्स - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण।

2.1 मालिक श्री अमित गर्ग अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास सादे सोने के आभूषणों के ऑर्डर हैं और उन्होंने अपने स्वीकृति पत्र को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया है।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "सादे सोने के आभूषणों के निर्माण (71131911) (क्षमता: 1810 किलोग्राम/वर्ष)" के लिए इकाई के स्वीकृति पत्र की वैधता को



31/12/2023 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया, और इकाई को इस वैधता के भीतर अपनी निर्यात गतिविधियाँ शुरू करने का निर्देश दिया।

(3) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - 03.01.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के मद्देनजर प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 इकाई से कोई भी बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 03/01/2023 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय का आज तक पालन नहीं किया है।

3.2 अनुमोदन समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया और इकाई को (i) कामकाज के लिए व्यवसाय योजना, निर्यात आदेश, निर्यात गंतव्य और (ii) अनुमत वस्तुओं का संशोधित और सही 8 अंकों का एचएस कोड प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ स्वीकृति पत्र प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इकाई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराती है और निर्णय का अनुपालन नहीं करती है, तो कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

(4) डॉल्फिन अप्पारेल्स- स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

4.1 इकाई की प्रबंधक एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती दीप्ति वर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्रीमती वर्मा ने कहा कि वे भैंस आदि गोजातीय पशुओं की चमड़े की खाल का निर्यात करेंगे।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित शर्तों के अधीन "तैयार बोवाइन (केवल भैंस) चमड़े की खाल का व्यापार (41071900)" को शामिल करने के लिए मेसर्स डॉल्फिन अप्पारेल्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:

- i. इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करेगी और विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।
- ii. विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए निवल विदेशी मुद्रा अलग से प्रदान और रखरखाव किया जाएगा।
- iii. इकाई एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई सेवाओं की परिभाषा का पालन करेगी और व्यापारिक गतिविधियों के खिलाफ सभी भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाएंगे।
- iv. किसी भी उत्पाद के लिए जो वि.व्या.नी के तहत निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है, इकाई को निर्यात से पहले उस विशिष्ट उत्पाद के लिए डीजीएफटी के कार्यालय से 'निर्यात लाइसेंस' प्राप्त करना होगा।

(5) करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित कर रहा है।

5.1 श्री प्रशांत शौकीन, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.2 अनुमोदन समिति ने गलत आईटीसी एचएस कोड और मूल्यवर्धन निर्धारित मानदंडों से कम होने पर चिंता जताई, जिसे केवल इनपुट की लागत को कम करके ठीक किया गया था। आगे यह नोट किया गया कि मेसर्स शौकीन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड पिछले 3 वर्षों की अवधि में घाटे में चल रही थी और दोनों प्रवर्तक अर्थात् श्री प्रशांत शौकीन और श्री निशांत शौकीन के आयकर रिटर्न न्यूनतम थे और एक औपचारिकता पूरी करने के लिए दाखिल किए गए प्रतीत होते थे। पुराने सोने के आभूषणों की बिक्री से 1,00,62,119/- की पूंजी लगाने की भी संतोषजनक व्याख्या नहीं की गई।

सुरेंद्र मलिक

5.3 करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक एक अन्य इकाई "शौकीन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड" में भी निदेशक थे, जिसने पहले 2017 में जयपुर एसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था और यह देखा गया था कि श्री अजित सिंह उक्त कंपनी ने भारी असुरक्षित ऋण/अग्रिम लिया था। वही श्री अजीत सिंह नोएडा एसईजेड मेसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स, मेसर्स वी ईएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वी. वी. इम्पेक्स आदि में विभिन्न मामलों में शामिल रहे हैं।

5.4 अनुमोदन समिति ने विश्वसनीयता सहित प्रस्तावित खरीदारों को पुष्टि के लिए एक अनुस्मारक भेजने का भी निर्देश दिया। इकाई अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त कार्यालय को इन सभी दस्तावेजों की जांच करने और अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अधिकार दिया। पूरी जानकारी उपलब्ध होने पर ही इसे कार्यसूची में नहीं रखा जाएगा।

(6) रॉयल एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से की गई खरीद से संबंधित मामला।

6.1 श्री मनोज सोनी, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि 153.36 लाख रुपये की प्राप्त के लिए बकाया विदेशी मुद्रा है और उसी के कारण, एनएफई की कमाई पिछले ब्लॉक के लिए नकारात्मक हो गई है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने न तो प्राप्त प्रमाणपत्र जमा किया है और न ही निर्यात आय प्राप्त करने के लिए समय विस्तार के लिए आरबीआई/एडी बैंक की अनुमति की प्रति जमा की है। इसके अलावा, इकाई को 01.05.2023 से वर्तमान एचएस नामकरण के अनुरूप अधिकृत संचालन का सही आईटीसी (एचएस) कोड भी जमा करना होगा।

6.2 यह भी बताया गया कि मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा की गई खरीद के मामले में नामांकित कानूनी व्यवसाय-संघ से कानूनी राय मांगी गई थी, हालांकि, अभी भी इसकी प्रतीक्षा है। इस बात को गंभीरता से लिया गया कि कानूनी व्यवसाय-संघ ने समय पर अपनी राय नहीं दी।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र की वैधता को एक महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया और इकाई को बकाया विदेशी मुद्रा की प्राप्त करने या समय के विस्तार के लिए आरबीआई/एडी बैंक की निर्यात आय की प्राप्त अनुमति जमा करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने जल्द से जल्द कानूनी राय प्रदान करने के लिए नामांकित कानूनी व्यवसाय-संघ को एक अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया। कानूनी राय प्राप्त होने और फ़ाइल की जांच के बाद ही मामले को इकाई अनुमोदन समिति में रखा जा सकता है।

(7) ब्लेज़क्राफ्ट इंडिया एलएलपी - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

7.1 व्यवसाय-संघ के साझेदार श्री रोहित पुरी और श्री अनुज अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा नहीं किया था। इसके अलावा, एलईडी बल्बों के लिए एचएस कोड सही ढंग से नहीं दिया गया है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) कोड वर्तमान एचएस नामकरण में मौजूद नहीं हैं।

7.2 अनुमोदन समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त अधिकृत संचालन जैसे " (i) एलईडी बल्ब", (ii) एलईडी मॉड्यूल और फिक्सचर/स्ट्रिंग लाइट (94054900) सहित प्रकाश और उसके हिस्सों के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक; (iii) यूएसबी कनेक्टर के साथ एडाप्टर (85366910); (iv) एलईडी बल्ब/स्ट्रिंग के साथ सौर पैनल (85414900); (v) वाई-फाई चार्जर (85044030, 85044090); (vi) कनेक्टर्स (85369090); (vii) वायर रोल्स (85441920); (viii) पावर कॉर्ड (85444220); (ix) अन्य (85441990); (x) लैप

सुरेंद्र मलिक

होल्डर्स (85366190); (xi) हीट सिकुड़ने योग्य घटक (85469010)" के व्यापार को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी दे दी:

- i. नियम 53ए के बाहर व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करेगी और विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।
- iii. विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए निवल विदेशी मुद्रा स्थिति अलग से देखी जाएगी।
- iv. इकाई एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई सेवाओं की परिभाषा का पालन करेगी और व्यापारिक गतिविधियों के खिलाफ सभी भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाएंगे।
- v. कोई भी उत्पाद जो वि.व्या.नी के तहत निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है, इकाई को निर्यात करने से पहले उस विशिष्ट उत्पाद के लिए डीजीएफटी के कार्यालय से 'निर्यात लाइसेंस' प्राप्त करना होगा।

7.3 हालाँकि, अनुमोदन निम्नलिखित प्रस्तुत करने के अधीन है:

- i. 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित और फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
- ii. एलईडी बल्ब का सही आईटीसी (एचएस) कोड जमा करना
- iii. 01.05.2023 से वर्तमान एचएस नामकरण के अनुरूप मौजूदा अनुमोदित अधिकृत संचालन के 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड को संशोधित और सही करें।

(8) सहदेव इंटरनेशनल - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और अधिकृत संचालन में संशोधन।

8.1 व्यवसाय-संघ के मालिक श्री शशि सहदेव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री सहदेव ने कहा कि वे अपना व्यवसाय एसडीएफ में स्थानांतरित करने और एसडीएफ स्थान के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि बैंक को प्लॉट नंबर 161, एनएसईजेड को लेकर समस्या है।

8.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि कानूनी व्यवसाय-संघ ने निम्नानुसार अपनी राय प्रदान की है:

“प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन इकाई को केवल एसडीएफ से संचालित करने की अनुमति दे सकता है:

- (a) चूंकि इकाई को बैंक द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया है, एसडीएफ में रखे गए सभी बंधक सामान (यदि कोई हो) को बैंक को सौंपना होगा।
- (b) चूंकि इकाई को बैंक द्वारा एनपीए घोषित किया गया है और बैंक और इकाई के बीच चल रहे मुकदमे के आलोक में, उसने बैंक को सूचित करने और बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दृढ़ता से सलाह दी।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बैंक को एक पत्र भेजने और उक्त पत्र की एक प्रति इकाई को भेजने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(9) एमईसी ग्लोबल - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।


सुरेंद्र मलिक

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनपत ओसवाल और श्री के पांडे अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री ओसवाल ने बताया कि उन्होंने 03/04/2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति के निर्देशानुसार प्राप्त/बकाया निर्यात आय के विवरण के साथ संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

9.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तुत जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है और बट्टे खाते में डाली गई राशि का कोई आंकड़े नहीं दिया गया है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निर्यात के संशोधित और स्पष्ट वर्षवार विवरण, प्राप्त राशि, वर्तमान बकाया राशि और संबंधित वर्ष के लिए बट्टे खाते में डाले गए विदेशी मुद्रा का विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया। यह सारा आंकड़े उपलब्ध होने और फ़ाइल पर जांच करने के बाद ही मामले को इकाई अनुमोदन समिति में रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त